न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 09/2010

1. रघुवीर सिंह पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी गहनौली तहसील महवा जिला दौसा
...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी(भूमि अवाप्ति अधिकारी)उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू. दौसा डी–2, इन्द्रा कॉलोनी रोडवेज बस डीपो के सामने दौसा राजस्थान जरिये परियोजना निदेशक।
...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाने मुआवजा अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अप्रार्थी सं0 2 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2021

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम ठेकड़ा तहसील महवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 397/4 रकबा 0.06 है0 को प्रार्थी ने तहसीलदार महवा से आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करा लिया। उक्त भूमि को सम्परिवर्तन करवाने कें बाद उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण ने 100 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 को चार लेन किये जाने हेतु अवाप्त किया गया एवं उक्त अवाप्त की गई भूमि को आवासीय भूमि न मानकर कृषि भूमि मानकर मुआवजा दिनांक 9.7. 2009 को तय कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम ठेकड़ा तहसील महवा में स्थित भूनि खसरा नम्बर 397/4 रकबा 0.06 है0 का प्रार्थी खातेदार व काबिज काश्तकार था, जिसको प्रार्थी ने तहसीलदार महवा से आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कराकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई। उक्त भूमि में से 100

वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 को चार लेन किये जाने हेतु अवाप्त की गई थी। जिसकी सूचना निकालते ही प्रार्थी ने आपत्ति पेश की कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है इसलिये उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय दर से दिलाया जावे। प्रार्थी ने सम्परिवर्तन आदेश भी पेश किया। किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्त भूमि को आवासीय भूमि न मानकर खातेदारी की भूमि मानकर कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिनांक 9.7.09 को तय कर दिया एवं प्रार्थी की आपत्ति को दिनांक 9.7.09 को खारिज कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को आवासीय दर से मुआवजा दिलवाने व उक्त भूमि पर हो रहे निर्माण का भी मुआवजा दिलाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के 110.500 कि.मी. से 119.600 कि.मी. तक के भूखण्ड के फोरलेनीकरण वास्तें दिनांक 10.07.06 को 3ए अधिसूचना जारी की जिसमें वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 397/4 की अवाप्तशुदा रकबा 100 वर्गमीटर की किस्म चाही के रूप में अंकित थी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7.6.2007 को 3डी की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें भी उक्त अवाप्त भूमि की किस्म चाही अंकित थी। प्रार्थी ने गलत आधार पर अवाप्तशुदा रकबे की प्रकृति आवासीय बतायी है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा रकबे के संबंध में स्वतंत्र जांच ऐजेन्सी एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा सर्वे करवाया गया था जिसमें भी उक्त अवाप्तशुदा रकबे की प्रकृति चाही पायी गयी। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 397/4 किस्म चाही का अवाप्तशुदा रकबा 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 13884/–रूपये तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण इत्यादि की मुआवजा राशि 8320/–रूपये व 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 2200/–रूपये कुल मुआवजा राशि 24,424/–रूपये निर्धारित की गई। जिसका भुगतान मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हितबद्ध व्यक्तियों के नाम जमा करवा दिया गया है। प्रार्थी अब गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने दलील दी है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)महवा की रिपोर्ट पत्रांक 2153 दिनांक 26.9.2017 के अनुसार उपखण्ड क्षेत्र महवा में एन.एच.–11 को चारलेनीकरण करने हेतु भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के तहत पोत, परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.9.2005 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर उपखण्ड अधिकारी महवा को उपखण्ड क्षेत्र महवा के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त प्रक्रिया के तहत ग्राम ठेकड़ा तहसील महवा स्थित भूमि खसरानम्बर 397/4 रकबा 100 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। जिसकी अधिसूचना धारा 3क दिनांक 10.7.2006 को तथा अधिसूचना 3घ दिनांक 07.6.2007 को जारी की गई थी। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड के अनुसार रघुवीर सिंह पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी गहनोली तहसील महवा के नाम दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अधिसूचना जारी होने पर दिनांक 28.07.2017 को एक आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा के कार्यालय में पेश की गई। उक्त आपत्ति के साथ खसरा नंबर 397/4 रकबा

0.06 है0 में से 400 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किये जाने संबंधी तहसीलदार महवा के आदेश कमांक 553–556 दिनांक 28.5.2005 की छायाप्रति पेश की गई थी। उक्त आपत्ति की सुनवाई कर दिनांक 09.7.2009 को निस्तारण किया जिसमें प्रार्थी की संपरिवर्तित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने तथा आवासीय प्रयोजन में काम नहीं आने से आपत्ति खारिज कर दी गई तथा मुआवजा कृषि दर से निर्धारित किया। उक्त मुआवजा डीएलसी दर से निर्धारित किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ठ होता है कि तहसीलदार महवा द्वारा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 27.5.2005 के द्वारा खसरा नंबर 397/4 रकबा 400 वर्गमीटर का रूपांतरण किया गया है। उक्त आदेश में दिनांक 10.8.2007 के द्वारा संशोधन किया जाकर रकबा 400 वर्गमीटर के स्थान पर 600 वर्गमीटर किया गया है। मूल संपरिवर्तन आदेश के द्वारा संपूर्ण रकबा 600 वर्गमीटर का देय रूपांतरण शुल्क भी जमा करा लिया था। जिससे स्पष्ठ है कि उक्त खसरा का संपूर्ण रकबा को रूपांतरण करा लिया गया था। परन्तु सपरिवर्तन आदेश की शर्त संख्या 2 के अनुसार संपरिवर्तन आदेश जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो आज्ञा प्रत्याहरित कर दी जावेगी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए प्रकट किया है कि संपरिवर्तन आदेश का न तो राजस्व रेकार्ड में अमल हुआ है और ना ही उक्त भूखण्ड आवासीय प्रयोजन में काम आ रहा है। उक्त आपत्ति का निस्तारण दिनांक 7.7.2009 को किया गया है जिससे स्पष्ठ है कि संपरिवर्तन आदेश जारी होने के 4 वर्ष तक भूमि का उपयोग आवासीय नहीं हो रहा था। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा अवार्ड पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है; जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा पारित अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट